

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा।

पत्रांक 2308 / 33-1 / दिनांक: बांदा: जनवरी, 17, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक  
चित्रकूटधाम वृत्त, उ०प्र०,  
बांदा।

विषय:-

जनपद-बांदा में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बांदा-बबेरु रोड बांदा-चिल्ला रोड, बांदा-अतर्रा रोड, बांदा-नरैनी रोड, बांदा-ओरन रोड, पलरा-नरैनी रोड बांदा-तिन्दवारी रोड, पिपरहरी मोड़ से अमलोर मोड़ में अमलीकौर ग्राम समूह पेयजल योजना पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु प्रभावित 10.555675 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन एवं बाधक 228 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ पत्रांक-8बी/यू०पी०/०८/२६६/२०२१/एफ०सी०/५८२ दिनांक २७.१२.२०२१

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रस्ताव पर ०३ बिन्दुओं की आपत्ति का निराकरण टेबुलर फार्म में करते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

S.N.	Essential Details Sought	Replies
1	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 14.0 ha. which is lower than the actual required for CA.	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 14.0 ha. but all 22.0 ha. land suitable for CA plantation by inspection and which photo graph already attached.
2	Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan needs to be submitted.	In the proposal, only Protected Forest Land is proposed by diversion and Area calculation sheet for the same land has already been attached with the proposal, So, Component wise break up of land is not applicable.
3	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	Muck calculation and muck disposal scheme approved by concerned DFO has been attached with the proposal.

भवदीय

(संजय अग्रवाल)

प्रभागीय वनाधिकारी  
बांदा वन प्रभाग, बांदा।

01/1